राजस्व प्रार्थना पत्र 231B/2021
जीसीएमएसम नंबर 2021/00
रामी देवी बनाम् सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र चौधरी आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र 231B/2021

प्रार्थी–

1. रामी देवी पत्नी किस्तुरराम, ग्राम–पिड़ियारा, तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. वादी स्वयं उपस्थित
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

सहायक कलक्टर * जायल * (एस.डी.ओ.)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :–23/11/2021

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम रामी देवी पत्नी किस्तुरराम के पति का नाम किस्तुरराम ही है मगर गांव की बोलचाल भाषा में प्रार्थीया के पति को किताराम कहकर बुलाया जाता है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा पिड़ियारा तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 141 के खसरा नम्बर 76 में प्रार्थीया के पति रामीदेवी पत्नी **किताराम** साकिन देह खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थीया के मतदाता फोटो पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, व आधारकार्ड संख्या 7381 6135 3281 , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयुपर वर्तमान एसबीआई खाता संख्या 61300880794 में रामी देवी पत्नी किस्तुरराम दर्ज है तथा प्रार्थीया के पति के आधार कार्ड 4022 6141 5147 , मतदाता कार्ड में भी सही नाम किस्तुरराम दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थीया को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये मय हल्का पटवारी मांगलोद की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थीया के खाता संख्या 141 में रामीदेवी पत्नी किताराम सा. देह खातेदार दर्ज है। जो कि प्रार्थीया के खातेदारी के रूप में दर्ज है। प्रार्थीया के पति को गांव में वर्तमान में भी किस्तुरराम नाम से जाना व पुकारा जाता है।

23/11/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व प्रार्थना पत्र 23/24/2021
जीसीएमएसम नंबर 2021/00
रामी देवी बनाम् सरकार

प्रार्थीया के मतदाता फोटो पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, व आधारकार्ड संख्या 7381 6135 3281 , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयुपर वर्तमान एसबीआई खाता संख्या 61300880794 में रामी देवी पत्नी किस्तुरराम दर्ज है तथा प्रार्थीया के पति के आधार कार्ड 4022 6141 5147 , मतदाता कार्ड में भी सही नाम किस्तुरराम दर्ज हैं। प्रार्थीया का यह खेत खसरा नंबर 76 खरीद सुदा खातेदारी का है जिसका बेचान तीनों भाईयों गोमाराम, अमानाराम, अगमाराम ग्राम पिडियारा के द्वारा दिनांक 1.05.2021 को किया गया था। वक्त पंजीयन किस्तुरराम का नाम बोलचाल भाषा मे किताराम होने के कारण नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थीया के पति का नाम किताराम दर्ज किया था। बेचानकर्ता गोमाराम पुत्र सतदान जाति राईका जिवित है जिसके बयान कलमबद्व किये गये जिसने उक्त नाम सशोंधन में किसी प्रकार की आपति जाहिर नहीं की। गोमाराम के भाई अमानाराम व उगमाराम की मृत्यू हो चुकी है। जिसमें शुद्वि पत्र पंजिबद्व किया जाना संभव नहीं है। उपस्थित मौतबिरानों ने किताराम तथा किस्तुरराम दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी मांगलोद तहसील जायल की मौका रिपोर्ट, मतदाता फोटो पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, व आधारकार्ड संख्या 7381 6135 3281 , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयुपर वर्तमान एसबीआई खाता संख्या 61300880794 में रामी देवी पत्नी किस्तुरराम दर्ज है की फोटो प्रति तथा प्रार्थीया के पति के आधार कार्ड 4022 6141 5147 , मतदाता कार्ड की फोटो प्रति तथा नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 141 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस प्रार्थीया की सूनी गयी। दौराने बहस प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में पिड़ियारा के खतौनी सं. 141 में अंकित खसरा नं. 76 में प्रार्थीया का नाम रामीदेवी पत्नी किताराम के स्थान पर रामीदेवी पत्नी किस्तुरराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पिड़ियारा तहसील के खतौनी सं. 141 में वर्णित खसरान की भूमि प्रार्थीया की खरीदसुदा भूमि है , जो कि जो दिनांक 01.05.2021 को गोमाराम, अमानाराम, उगमाराम निवासी पिडियारा से खरीद जरिये पंजीयन से प्राप्त हुई है तथा वर्तमान में खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थीया के मतदाता फोटो पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, व आधारकार्ड संख्या 7381 6135 3281 , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयुपर वर्तमान एसबीआई खाता संख्या 61300880794 की फोटो प्रतियों

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

तथा प्रार्थीया के पति के आधार कार्ड 4022 6141 5147 , मतदाता कार्ड की फोटो प्रति में प्रार्थीया के पति किताराम एवं किस्तुरराम एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थीया के पति का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय किस्तुरराम के स्थान पर किताराम हुआ है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीया के पति वास्तविक नाम खातेदारी के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थीया को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थीया के पति का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि किताराम एवं किस्तुरराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये रामी देवी पत्नी किताराम के स्थान पर रामीदेवी पत्नी किस्तुरराम जाति जाट निवासी–पिड़ियारा का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 141 में दर्ज खातेदार नाम रामी देवी पत्नी किताराम के स्थान पर वास्तविक नाम रामी देवी पत्नी किस्तुरराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम पिड़ियारा तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 141 खसरा नंबर 76 में दर्ज नाम रामी देवी पत्नी किताराम के स्थान पर वास्तविक नाम रामदेवी पत्नी किस्तुरराम जाति जाट निवासी–पिड़ियारा तहसील–जायल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29/10/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

29/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्डअधिकारी एवं
सहायककलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner